(20)

Project Name :- Improvement and Strengthing of NH-74,Km-239 (Sirsa Mod) Camp road to Shaktifarm Road.

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATES
DISTRICT-UDHAM SINGH NAGAR

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest (recognition of right) act (FRA). 2006

A Meeting of the District Level Committee of Udham Singh Nagar district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Neeraj Kharwal,I.A.S. District Magistrate, Udham Singh Nagar on dated ..17|08|17..at time...11:10 AM at Udham Singh Nagar in which application claiming rights in **14856 Sq.** meter/area measuring **14.856** hectares for the construction of NH-74,Km-239 (Sirsa Mod) Camp road to Shaktifarm Road, Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Sitraraganj Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land the said purpose.

Place…Rudrapur
Dated……17|08|17….

(Dr. Neeraj Kharwal)
District Magistrate
Cum Chairman District Level Committee
District-Udham Singh Nagar

(डॉ0 नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned by CamScanner

(22)

परियोजना का नामः– रा0मा0–74 कि0मी0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र जिला स्तरीय समिति, ऊधमसिंह नगर

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज ब्लाक (14.856 हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0, अर्थात कुल 14.856 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जनपद ऊधमसिंह नगर) की दिनांक 17/08/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक डॉ0 नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अध्यक्ष/ सदस्य	हस्ताक्षर
1.	डॉ0 नीरज खैरवाल	जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर	अध्यक्ष	[signature]
2.	श्री नितिश मणी त्रिपाठी	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	सदस्य	[signature]
3.	श्री पी0सी0 जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	सचिव/ सदस्य	[signature]
4.	श्रीमती जगवती	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	
5.	श्रीमती पूनम राणा	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	[signature]
6.	श्री रविन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	[signature]

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड सितारगंज में रा0मा0–74 कि0मी0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 14.856 हे0 आरक्षित वन भूमि का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

क्रमशः– 2

Scanned by CamScanner

(21)

1.6(iv)

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रा0मा0–74 कि0मी0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 14.856 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

डॉ0 नीरज खैरवाल
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद ऊधमसिंह नगर.

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डॉ0 नीरज खैरवाल
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद ऊधमसिंह नगर.

Scanned by CamScanner